Form No. III
फर्द–अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

विक्रमसिंह मीणा बनाम **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **099** सन् **2025**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.2025	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी विक्रम सिंह मीणा निवासी डीवाईएसपी कार्यालय के पीछे, सोमेश्वर मंदिर के पास, आदर्श कॉलोनी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) मोबाईल (8769313105) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के जिले के **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19.08.2025 के संबंध में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र के संबंध में अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रथम अपील हेतु अपीलार्थी से अपेक्षित है कि अपीलार्थी दो प्रतियों में अपील आवेदन व अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन की प्रति मय आवेदन शुल्क (भारतीय डाक आदेश) एवं पोस्टल रसीद की छाया प्रति के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना प्रावधित है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19.08.2025 की छाया प्रति, आवेदन शुल्क की छाया प्रति व पोस्टल रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है। यहॉ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकरण होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जिले के **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** लोक सूचना अधिकारी(राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है, ऐसी स्थिति में तहत लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस प्राधिकरण को प्राप्त नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस प्राधिकरण में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां नियमानुसार मय वांछित दस्तावेजात के अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (आलोक रंजन) **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी** जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 27.11.2025	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official